भा०कृ०अ०प०—केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान

इज्जतनगर (उ.प्र.) 243 122 बरेली

F. No.CARI/GH/2023 दिनांक:12.01.2023

कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति की दिनांक 26.12.2022 की बैठक की संस्तुति तथा उसपर निदेशक महोदय के अनुमोदन के उपरांत अतिथि गृह एवं पुराने प्रशासनिक भवन के सामने के मैदानों को परिषद/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के समारोह हेतु किराया (**Charges**) एवं आवंटन की निर्धारित शर्ते इस प्रकार से है–

S.No.	Location/site	ICAR/CARI	Cleaning Charges	Security
1.	Dining Hall of Guest House	1500.00	500.00	2000.00
2.	Lawn of Guest House	4000.00	500.00	4000.00
3.	Lawn front of Administrative Building	7500.00	1000.00	5000.00
4.	Open Ground Near Director's Residence	7500.00	1000.00	5000.00
5.	Dormatory	100.00	-	-

1. आवंटी द्वारा आवंटन प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को आयोजन की तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व वापस लेने के स्थिति में पच्चीस प्रतिशत राशि किराये की राशि से जब्त कर ली जायेगी। पूर्व आयोजन की तिथि में बदलाव हो जाने पर आवेदक को नये रूप से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. डी०जे०/लाउडस्पीकर रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त परिसर में मान्य नहीं होगा। डी०जे०/लाउडस्पीकर को रात्रि 11.00 बजे तक संस्थान के मुख्य द्वार से बाहर ले जाना होग, जिसके गेट पास की प्रति धरोहर राशि की वापसी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आतिशबाजी/फायरिंग परिसर में मान्य नही होगी।
4. अगर शर्त संख्या 2 एवं 3 का अनुपालन नही किया जाता है तो रू०5000/– की राशि जुर्माना के अन्तर्गत प्रत्येक उल्लघंन हेतु देय होगी।
5. आवंटन के उपरान्त आवेदक को सुरक्षा की दष्टि से रू०5000.00 मात्र राशि जमा करनी होगी।
6. आवंटि को प्रदूषण की दृष्टि से ग्राउन्ड के अन्दर एवं बाहर आवश्यकतानुसार कूड़ादान की व्यवस्था स्वंय के स्तर से करनी होगी।

2/........

7. विवाह/अन्य समारोह के आयोजन में प्लास्टिक अथवा थर्माकोल जैसे गिलास, प्लेट्स एवं पानी की बोतल आदि का प्रयोग करना वर्जित है। प्लास्टिक अथवा थर्माकोल के सामान के प्रयोग होने की सूचना प्राप्त होने पर धरोहर राशि जुर्माना के अन्तर्गत उल्लघंन पर जब्त होगी।
8. आयोजन के पश्चात बचा खाना आदि संस्थान के बाहर ही ले जाना होगा, जिससे संस्थान में स्वच्छता बनी रहे।
9. विवाह/अन्य समारोह में विद्युत की सप्लाई का कनेक्शन स्वयं लेना होगा।
10. कोरोना प्रोटोकाल का वर्तमान दिशा निर्देशानुसार पूर्णतया पालन करना होगा तथा मास्क, सैनिटाइजन् का प्रयोग सुनिश्चित करते हुये उचित दूरी आपको रखनी होगी।
11. उपरोक्त आवंटन में के०प०अ०सं० के स्टाफ को प्रथमिकता दी जायेगी।
12. आवंटन के उपरान्त आवंटन शुल्क अग्रिम रूप से संस्थान के कैशियर के पास जमा कराना होगा।
13. उपरोक्त आवंटन मात्र कर्मचारी के आश्रित बच्चों, भाई/बहन से सम्बनधित कार्यकम/उत्सव हेतु दिया जायेगा।
14. उपरोक्त आवंटन अगले दिन सुबह 10.00 बजे तक खाली करना होगा।
15. यदि संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचता है तो इस नुकसान की बसूली कर्मचारी द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि से की जायेगी।
16. परिसर की सुरक्षा एवं शान्ती बनाये रखने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
17. उपरोक्त निर्धारित मूल्य मात्र एक दिन के आवंटन हेतु मान्य होगें।
18. आवंटी द्वारा जमा की गयी सुरक्षा राशि सम्पदा अनुभाग से प्राप्त रिपोट के उपरान्त ही बापस की जायेगी।

उपरोक्त दरें दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी रहेंगी।

प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. संस्थान के समस्त प्रभारी प्रभागाध्यक्षों/अनुभाग अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कार्यालय आदेश की सूचना से अपने अधीन कर्मचारियों को अवगत करायें।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, के०प०अ०सं, इज्जतनगर।
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी, के०प०अ०सं, इज्जतनगर।
4. निदेशक के व्यैक्तिक अनुभाग, के०प०अ०सं, इज्जतनगर।
5. प्रभारी ए0के0एम0यू के०प०अ०सं, इज्जतनगर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।